

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर रोड

पंत्राक 512 /उधान /2023-24

दिनांक 16.8.2023

सार्वजनिक सूचना

सुचित किया जाता है कि एच०एन०बी० कॉम्प्लैक्स में सुखे हुए पेड
(जिसे है जहाँ के आधार पर) की नीलामी दिनांक —26-8-23—को अपरान्ह
—12—बजे गठित समिति के समक्ष प्राधिकरण परिसर में नियमानुसार की
जानी है, जो व्यक्ति उक्त पेड़ों को खरीदने का इच्छुक हो, वह नियमानुसार
रु० 2000/-की धरोहर राशि /टोकन मनी प्राधिकरण कार्यालयमें 25-8-23
अपरान्ह तक जमा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं ।

समग्री से सम्बन्धित कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में एम०डी०
डी०ए० कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।


उधान अधिकारी
एम०डी०डी०ए०

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।
ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर रोड

दिनांक 16/08/2023

पंत्राक 52/उधान/2023-24

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एच0एन0बी0 कॉम्प्लेक्स में सुखे हुए पेड़(तुन प्रजाति) के जहाँ हैं जैसे हैं के आधार पर बोली द्वारा नीलाम किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी दिनांक 26-8-23 को पूर्वान्ह 12 बजे प्राधिकरण कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में होनी निश्चित हुई है। इच्छुक बोलीदाता को जमानत के रूप में 2000.00 की एफ0डी0आर/सीडीआर0 जो सचिव मसूरी देहरादून के पक्ष में बन्धक हो, जमा करानी आवश्यक होगी। शेष शर्त प्राधिकरण की वैबसाईट में देखी जा सकती है।


उधान अधिकारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

ट्रांसपोर्ट नगर सहारनपुर रोड

पंत्राक ५२ /उधान / 2023-24

दिनांक १६-८-२०२३

सुखे पेड की नीलामी सूचना शर्त

- 1—पेड जहाँ है जैसे है के आधार पर नीलाम किया जाना है ।
- 2—सुखे हुए पेड (तुन प्रजाति) का निरीक्षण एच०एन०बी० कॉम्प्लेक्स में किया जा सकता है ।
- 3—सुखे हुए पेड (तुन प्रजाति) का मूल्य निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	पेड संख्या	न्यूनतम नीलामी + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित
	सूखा हुआ ०१ पेड (तुन प्रजाति)	9000.00

- 4—इच्छुक बोलीदाता को नीलामी हेतु रु० 2000.00 की जमानत/सीडीआर जो कि सचिव मसूरी देहरादून के नाम बन्धक हो, बोली बोलने से पूर्व समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।
- 5—नगद धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता अपनी जमानत राशि उधान अनुभाग प्रकाशन तिथि से दिनांक २५-८-२३ तक जमा कर सकते हैं। सुखे पेड सम्बन्धित नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में उधान अनुभाग से ज्ञात की जा सकती हैं।
- 6—नीलामी की प्रक्रिया दिनांक २६-८-२३ को प्रातः ११ बजे प्राधिकरण सभागार में प्रारम्भ की जायेगी ।
- 7—उच्चतम बोलीदाता को कुल मूल्य, स्वीकृति आदेश के तीन दिन के अन्तर्गत जमा कराया जाना अनिवार्य होता तथा तत्काल सुखे पेड को उठाना होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यालय जिम्मेदारी नहीं होगा ।
- 8—असफल बोलीदाता की जमानत राशि दो सप्ताह के अन्तर्गत वापस कर दी जायेगी ।
- 9—सफल बोलीदाता को आधार कार्ड अथवा वोटरकोर्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
- 10—प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी तथा उनके पारिवारिक सदस्य नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे ।
- 11—सफल बोलीदाता को नीलामी बोली राशि के अतिरिक्त 18 प्रतिशत जी०एस०टी०

जमा कराना होगा ।

12— बिक्री के पश्चात स्वामित्व परिवर्तन से सम्बन्धित शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं वहन करना होगा ।

13— बोलीदाता के साथ नीलामी सभागार कक्ष में मात्र एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेगा ।

14—प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी निरस्त कर दे ।
सर्वाधिकार उपाध्यक्ष महोदय में सुरक्षित रहेंगे ।

15—समस्त विवादों का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय परिक्षेत्र में मान्य होगा ।

उधान अधिकारी,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून ।

प्रतिलिपि:-

1—सचिव, एम०डी०डी०ए० को सूचनार्थ ।

2—मुख्य लेखाधिकारी एम०डी०डी०ए० को सूचनार्थ ।

3—प्राधिकरण बोर्ड पर एक प्रति चर्चा हेतु ।

2—जिलाधिकारी कार्यालय में एक प्रति चर्चा हेतु ।

3—नगर निगम देहरादून कार्यालय में एक प्रति चर्चा हेतु ।

4—वन प्रभाग के कार्यालय में चर्चा हेतु ।

5—आई०टी० अनुभाग को इस अशाय से कि उक्त नीलामी सूचना को प्राधिकरण की वैबसाईट पर उपलोड करना सुनिश्चित करें ।


उधान अधिकारी,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून ।